



इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छ.ग.)

पंजीयन (Registration) हेतु आवेदन पत्र
वर्ष - 2024 - 2025

पंजीयन क्रमांक
Registration No.

यह आवेदन पत्र प्रभारी (परीक्षा) की ओर से निर्धारित अन्तिम तिथि के पूर्व अवश्य पहुँच जाना चाहिए। निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क रु. 330/- के साथ स्वीकृत किये जायेंगे।

प्रति,

प्रभारी परीक्षा
इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय,
खैरागढ़ (छ.ग.)

केवल नवीन एवं स्वाध्यायी से नियमित में प्रवेश लिये विद्यार्थियों हेतु।

महोदय,

विश्वविद्यालय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अपना पंजीयन कराने के लिए आवेदन करता/करती हूँ। निर्धारित शुल्क रुपये
..... R.T.G.S. / N.E.F.T. NO. दिनांक / / के द्वारा जमा कर दिया/दी हूँ।

सभी पूर्तियाँ विद्यार्थी के द्वारा पूर्ण रूप से की जानी चाहिए। अधूरे आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

- नाम (हिन्दी में) (अंग्रेजी में)
- जन्मतिथि (अंकों में) / / (अक्षरों में)
- पिता/पति का नाम 4. माता का नाम
- पालक का नाम एवं पता एवं मोबाईल नंबर अनिवार्य है :-
- यदि प्रार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग का हो तो
- धर्म राष्ट्रियता जाति मातृभाषा
- पाठ्यक्रम जिसमें अध्ययन कर रहा/रही है :- वर्ष दर्शायें
(प्रथमा/मध्यमा/विद/कोविद, द्विवर्षीय आर्ट एप्रिसियेशन कोर्सए एक वर्षीय लोकसंगीत/द्विवर्षीय लोकसंगीत डिप्लोमा, कम्प्यूटर एप्लीकेशनए फंक्शनल हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, योगा)
- कंठ संगीत/सुगम-संगीत/कथक नृत्य/भरत नाट्यम/ओडिसी नृत्य/तबला/सितार/बेला/लोकसंगीत/ गायन/ सरोद/गिटार/ बांसुरी/चित्रकला/कम्प्यूटर इत्यादि जो भी विषय हो, स्पष्ट उल्लेख करें।
- संस्था/महाविद्यालय का नाम जहाँ छात्र/छात्रा अध्ययनरत हैं :- **कमलादेवी संगीत महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)**
- संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि - / /

छात्र/छात्रा इसकी पूर्ति अनिवार्य रूप से करें

12. प्रार्थी द्वारा उत्तीर्ण पूर्व परीक्षा का विवरण :-

- संगीत अ - परीक्षा का नाम - ब - उत्तीर्ण करने का वर्ष -
स - संस्था का नाम -
- शैक्षणिक योग्यता अ - परीक्षा का नाम - ब - उत्तीर्ण करने का वर्ष -
स - संस्था का नाम -

(जैसे - प्रायमरी, मिडिल, हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/बी.ए./एम.ए. उत्तीर्ण अंकसूची की प्रति संलग्न करें।)

नोट : सांगीतिक योग्यता/शैक्षणिक योग्यता संबंधी पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची की सभी अभिप्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलग्न करें।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छ.ग.)

(पंजीयन क्रमांक के स्थान को छोड़कर अन्य सभी उल्लेख अभ्यर्थी स्वयं करें)

पंजीयन (Registration) पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, श्री/श्रीमती/कुमारी

पाठ्यक्रम एवं विषय को जो कमलादेवी संगीत महाविद्यालय,

/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में अध्ययनरत हैं, इन्हें विश्वविद्यालय के छात्र/छात्रा के रूप में पंजीकृत किया गया है तथा उनका

पंजीयन क्रमांक है।

दिनांक / /

प्रभारी
कृते कुलसचिव

प्रमाण-पत्र

मैंने श्री/श्रीमती/कु.

कक्षा

वर्ष के नियमित विद्यार्थी के पंजीयन पत्र की सम्यक जाँच कर ली है। पंजीयन आवेदन-पत्र छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत अंकसूची/प्रमाण-पत्र सहित, जिसके आधार पर पंजीयन की पात्रता रखता है, अंग्रेषित है।

दिनांक / /

शिक्षण विभाग के प्रमुख/महाविद्यालय के
प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मुहर

अभ्यर्थी के लिए निर्देश

- (अ) नियमित रूप से निम्नलिखित परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों का पंजीयन किया जाना आवश्यक है।
1. प्रथमा प्रथम एवं अंतिमवर्ष
 2. मध्यमा प्रथम एवं अंतिमवर्ष
 3. विद् प्रथम एवं अंतिमवर्ष
 4. कोविद् प्रथम एवं अंतिमवर्ष
 5. एक वर्षीय लोकसंगीत एवं / द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम
 6. गीतांजली जूनियर एवं गीतांजलि सीनियर
 7. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन
 8. द्विवर्षीय आर्ट एप्रिसियेशन कोर्स (चित्रकला)
- (ब) पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क रुपये 330/- है तथा विलम्ब शुल्क रुपये है।
- (1) मध्यमा में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता छठवीं कक्षा उत्तीर्ण है।
 - (2) पंजीयन पत्र में केवल पंजीयन क्रमांक ही विश्वविद्यालय द्वारा भरा जाएगा। शेष पूर्तियाँ अभ्यर्थी स्वयं करें।
 - (3) पंजीयन हो जाने मात्र से ही छात्र को परीक्षा में बैठने की पात्रता प्राप्त हो गई है, ऐसा न समझा जावे। यदि परीक्षा आवेदन पत्र की जाँच करते समय यह पाया गया कि छात्र का पंजीयन पत्र गलत रूप से अंग्रेषित हुआ है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी तथा उसका पंजीयन निरस्त किया जायेगा।
 - (4) पंजीयन क्रमांक का उल्लेख परीक्षा आवेदन पत्र पर किया जाना आवश्यक है।
 - (5) पंजीयन आवेदन पत्र के साथ मूल माइग्रेसन प्रमाण-पत्र संलग्न कर अनिवार्य रूप से भेजा जावे।

टीप :- विदेशी छात्र/छात्राओं के लिए भी उपरोक्त नियम केवल शिक्षण विभाग इ. क. सं. वि. वि., खैरागढ़ के लिए लागू होंगे।